IV 183/12

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये   Rs. 100

रु. 100   ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार फैजाबाद
DEC 2012
उ० प्र० (49)

R. K. Pandey

Krishna Kumar Yadav

24/12/12

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   BD 412871

कृष्णा पी0आर0 एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट ग्राम लाला का पुरवा, पोस्ट–पौसरा, तहसील–सदर, थाना–गोशाईगंज, जिला–फैजाबाद।

न्यास घोषणा–पत्र

मैं कृष्ण कुमार यादव पुत्र स्व0 श्री दयाराम यादव, निवासी– म0नं0–5/18/72सी मो0–बछड़ा सुल्तानपुर, पोस्ट– वाटर वर्क्स, जिला–फैजाबाद (उ0प्र0) का निवासी हूँ।

विदित हो कि मैं भारत का नागरिक हूँ। मैं यह अनुभव करता हूँ कि प्राचीन भारत में जहाँ नालन्दा एवं तक्षशिला जैसे विश्व विख्यात विद्यालय हुए हैं। भारतीय संस्कृति, शिक्षा, धर्म एवं सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से विश्व में सर्वश्रेष्ठ था एवं आर्थिक सम्पन्नता के कारण जिसको सम्पूर्ण विश्व में सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारा देश अनादि काल से विश्वगुरू रहा।

वहीं आज विश्व के निरक्षरों का बहुत बड़ा भाग भारत में निवास कर रहा है। जो आर्थिक विपन्नता एवं निरक्षता के कारण नारकीय जीवन जीने

Krishna Kumar Yadav

....2/–

तिथि 24/12/2012 क्रमांक नं० 4779 कीमत 100 [illegible]

नाम क्रेता [illegible] WEST [illegible]

शामिल नं० ....

स्टाम्प विक्रेता का [illegible] नं० 26/215

बिक्री का स्थान - [illegible] फैजाबाद

लाइसेन्स की अवधि 01-04-12 से 31-03-16 तक

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 412872

को मजबूर है। इनके चर्तुदिक विकास के लिए सरकार अपने स्तर से हर सम्भव कार्य कर रही है। लेकिन समस्या की गम्भीरता के कारण यह सरकारी कार्य मात्र से सम्भव नहीं है। इसके लिए सरकारी गैर सरकारी सहयोग की आवश्यकता है।

सरकार की सहायता व सहयोग के बिना केवल जनता के सहयोग से चलने वाले अनेकों सफल कार्यों को देखकर मुझे भी वैसा करने की प्रेरणा मिली। भारतीय संस्कृति को यज्ञ संस्कृति कहा जाता है अर्थात बदले में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छ्ज्ञ के बिना केवल दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना। भारत को पुनः विश्वगुरू बनाने की एवं विश्वशान्ति व शैक्षिक अध्यात्मिक नैतिक चारित्रिक विकास की भावना से प्रेरित होकर लोकहित–लोक मंगल की कामना से बिना किसी बल की इच्छा के आज दिनांक 24–12–2012 में कृष्ण कुमार यादव पुत्र स्व0 श्री दयाराम यादव, निवासी–ग्राम लाला का पुरवा, पोस्ट–पौसरा, तहसील–सदर, थाना–गोशाईगंज,जिला–फैजाबाद (उ0प्र0) इस कृष्णा पी0आर0 एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट न्यास के गठन की घोषणा करता हूँ।

इस पवित्र कार्य के लिए स्वयं अपनी ओर से रू0 11,000/–

Krishna Kumar Yadav

....3/–

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 412873

(ग्यारह हजार रूपया मात्र) इस न्यास को स्थायी निधि के रूप में समर्पित कर रहा हूँ।

इस न्यास का नाम, कार्यालय, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य तथा सामान्य कार्य विधि व व्यवस्थाएं नीचे लिखे अनुसार रहेगी :—

1. न्यास का नाम : कृष्णा पी0आर0 एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट
2. न्यास का कार्यालय : ग्राम लाला का पुरवा, पोस्ट—पौसरा, तहसील—सदर, थाना—गोशाईगंज, जिला—फैजाबाद (उ0प्र0)
3. न्यास का कार्यक्षेत्र : भारत वर्ष

<u>न्यास का उद्देश्य</u>

1. जनहित में समाज के सभी वर्गो के लोगों के सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षिक, बौद्धिक, शारीरिक एवं अध्यात्मिक एवं बहुमुखी विकास हेतु कार्य करना।

Krishna Kumar Yadav

....4/—

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BD 412874

2. बालक/बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु भारत वर्ष के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, योग शिक्षा तथा हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी अन्य भाषाओं के माध्यम से प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षण संस्थाओं, कालेजों, महाविद्यालयों, इन्जीनियरिंग कालेज, मदरसा, अल्पसंख्यक विद्यालयों, एम०बी०ए०, बी०ए०, एम०सी०ए०, बी०बी०ए० एवं अन्य शिक्षण–प्रशिक्षण तकनीकी कोर्स की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना तथा शिक्षा पर शोध करना।

3. ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के लोगों को देश/विदेश की अद्यतन जानकारी, बौद्धिक विकास हेतु पुस्तक बैंक, वाचनालय, पुस्तकालय की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

4. समाज के पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग के महिलाओं/पुरुषों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर, डी०टी०पी०, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई पेंटिंग, फलसंरक्षण, रेक्सीन कला, गृहसज्जा, आचार, मुरब्बा, माचिस, पत्तल, अगरबत्ती, मसाला, ब्यूटी पार्लर, शिल्पकला, काष्ठकला, कारप्रेन्ट्री,

Krishna Kumar Yadav

....5/–

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 262275

मोटरवाइडिंग / फिटिंग, खाद्य सम्बर्धन, ग्रामीण इन्जीनियरिंग, विद्युत, टाई एवं डाई आटो चालन, मोटर चालन, दरी–कालीन, टंकण, हैण्डीक्राफ्ट एवं अन्य ग्र।मोद्योगिक विकास पर आधारित पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन एवं अन्य व्यवसायिक कला आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना एवं उन पर शोध कार्य करना।

5. राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार–प्रसार विश्वस्तर पर करना। समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना फैशन शो, पेटिंग, ड्रामा, स्टेज शो, सत्संग, वाद–विवाद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, फिल्म शो, संगीत एवं नाटक के कार्यक्रम आयोजित करना।

6. शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों के बेसहारा, असहाय एवं निर्धन व कमजोर बालक / बालिकाओं के लिए निःशुल्क भोजन, वस्त्र, आवास व स्वरोजगार की व्यवस्था करना तथा निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास तथा पुस्तकालय का प्रबन्ध करना एवं संचालन करना।

न्यासी मण्डल की रचना, कार्य, दायित्व व अधिकार :–

Krishna Kumar Yadav

....6 / –

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 262276

1. न्यास के पंजीयन के पश्चात् एक न्यासी मण्डल का गठन मेरे द्वारा किया जायेगा सात न्यासी स्थायी होंगे, जिनके नामों की घोषणा अपने विवेक के आधार पर स्वयं मेरे द्वारा पंजीयन के पश्चात् की जायेगी।

2. आवश्यकतानुसार स्थायी न्यासीगण आपसी विचार–विमर्श के आधार पर अस्थायी न्यासियों की नियुक्ति कर सकेंगे जिनकी अधिकतम संख्या आठ होगी। इस प्रकार न्यासियों की कुल संख्या अधिकतम 15 ही रहेगी। अस्थायी न्यासी का कार्यकाल नियुक्ति से 2 वर्ष का होगा उनकी पुनर्नियुक्त सम्भव है, यदि उन न्यासियों के ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप न लगा हों, स्थायीगण द्वारा उपसमितियों का गठन करना एवं उद्देश्यों में निहित कार्यों का संचालन करना।

3. स्थायी न्यासियों में से किसी का स्थान रिक्त होने पर उसके स्थानापन्न न्यासी की नियुक्ति अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक के विवेक से की जायेगी और वे स्थायी न्यासी माने जायेंगे।

4. रिक्त स्थान की पूर्ति के अभाव में न्यास का कार्य रूकेगा नहीं, नवीन नियुक्ति होने तक शेष न्यासी कार्य करते रहेंगे।

Krishna Kumar Yadav

....7 /–

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 262277

5. न्यास के अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक का कार्यकाल आजीवन होगा और उनकी मृत्योपरान्त उनके पद पर अध्यक्ष / प्रबन्धनिदेशक के परिवार का कोई व्यक्ति अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति ही अध्यक्ष / प्रबन्धनिदेशक होगा। शेष न्यासी का कार्यकाल उनके कार्यों पर निर्भर करेगा।

6. न्यास के सचिव, कोषाध्यक्ष,मंत्री की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए स्थायी न्यासियों में से अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक के संस्तुति के बाद की जायेगी। इसकी पुनर्नियुक्ति भी सम्भव होगी यदि कार्य अच्छा रहा।

7. न्यासी मण्डल के मध्य अनिर्णय या किसी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष / प्रबन्धनिदेशक द्वारा स्वयं विवेक निर्णय लिया जायेगा, जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

8. किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में अध्यक्ष / प्रबन्धनिदेशक को एक अतिरिक्त मत देने का विशेषधिकार होगा।

9. अस्थायी न्यासियों एवं उपसमितियों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा तथा इनकी भूमिका मात्र परामर्श की रहेगी तथा उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा। न्यास

Krishna Kumar Yadav

....9/—

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 262278

का सर्वाधिकार एवं स्वामित्व प्रशासन एवं नियंत्रण अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।

10. न्यास के अध्यक्ष / प्रबन्धनिदेशक अपना कोई भी दायित्व या अधिकार न्यास के किसी सदस्य या पदाधिकारी को या स्वयं द्वारा गठित की गयी किसी उपसमिति को सौंपना तथा अध्यक्ष / प्रबन्धनिदेशक को यह अधिकार होगा कि न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने वाले उपसमिति के सदस्यों को किसी भी समय नियमानुसार नोटिस देकर सदस्यता से निकाल सकता है।

11. कोई भी समय नियमानुसार नोटिस देकर सदस्यता से निकाल सकता है।

12. अध्यक्ष / प्रबन्धनिदेशक की न्यास के नियमों का प्रतिपादन, आपसी परामर्श से करेगा जिसका अनुपालन सभी स्थाई एवं अस्थाई न्यासी करेंगे।

न्यास के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :–

अध्यक्ष / प्रबन्धनिदेशक के अधिकार व कर्त्तव्य :–

Krishna Kumar Yadav

....10 / –

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 262279

-9-

1. न्यास के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना तथा वे सभी कार्य जो न्यास के उद्देश्य में निहित अधिनियम के अनुरूप हों, न्यास का सर्वाधिकार अपने पास रखना।

2. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी कर्मचारी या सदस्य की वैतानिक या अवैतानिक नियुक्त करना, पदच्युत करना।

3. न्यास की नीतियों का निर्धारण व कार्यान्वित करना, संस्था के समस्त बिल/बाउचरों, सम्पत्तियों के क्रय-विक्रय,ऋण-पत्र एवं समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर करना।

4. आवश्यक होने पर किसी न्यासी या कर्मचारी को निर्दिष्ट नियमों के अनुपालन न करने पर पदच्युत करना।

5. न्यास की बैठक आयोजित करना तथा उसकी अध्यक्षता करना।

6. समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।

Krishna Kumar Yadav

....11/-

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 262280

7. वार्षिक बजट की स्वीकृति देना।

8. न्यास के हित के लिए चल–अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय निर्माण आदि कराना या करना।

9. लेखा पुस्तकों, आय–व्यय, खाता, चिट्ठा एवं संप्रेक्षक की रिपोर्ट पर विचार व स्वीकृति प्रदान करना एवं अगले सत्र के लिए संप्रेक्षण की नियुक्ति करना।

10. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों को न्यास का अस्थायी सदस्य बनाना।

11. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश–विदेश से दान लेना।

12. न्यास से सम्बन्धित कार्यक्रम बनाना तथा उसका संचालन करना।

13. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण, अनुदान, दान, सहायता लेना–देना रेहन रखना, पट्टा लेना–देना।

Krishna Kumar Yadav

....12/–

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 269931

14. बैंक खाते का संचालन।

सचिव के अधिकार व कर्त्तव्य :—

1. न्यास मण्डल की बैठक आयोजित करना।
2. न्यास की सभी गतिविधियों से न्यासी मण्डल को अवगत कराना।
3. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पत्र—व्यवहार करना।

मंत्री के अधिकार व कर्त्तव्य :—

1. न्यास से सम्बन्धित समय—समय पर न्यास के पदाधिकारियों तथा सदस्यों को संरक्षण प्रदान करना तथा उन्हें उचित परामर्श देना।

कोषाध्यक्ष के अधिकार व कर्त्तव्य :—

1. न्यास के आय—व्यय का लेखा—जोखा तैयार करना।
2. लेखा पुस्तकों को आडिट कराना एवं न्यास मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।
3. वार्षिक बजट तैयार करके न्यास मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना एवं अध्यक्ष / प्रबन्ध

Krishna Kumar Yadav

....13/—

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 269932

निदेशक से स्वीकृत कराना।

4. अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

5. वार्षिक रिपोर्ट अध्यक्ष / प्रबन्धनिदेशक के साथ तैयार करना व कराना।

<u>न्यास मण्डल के सदस्यों के अधिकार व कर्त्तव्य</u> :–

1. न्यास के सभी बैठकों में उपस्थित रहना।

2. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्यों के लिए उचित परामर्श देना।

3. किसी भी प्रकार के विवाद पड़ जाने पर मत देने का अधिकार।

<u>न्यास के अन्य नियम</u> :–

न्यास का न्यासी होने के अधिकार से वंचित होने की परिस्थित त्यागपत्र देने दिवालिया घोषित होने, नैतिक अपराध में सजा, शारीरिक बौद्धिक या मानसिक अक्षमता चारित्रिक पतन की अवस्था में एक वर्ष तब बिना अध्यक्ष / प्रबन्धनिदेशक

Krishna Kumar Yadav

....14/–

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 269933

के पूर्व अनुमति लगाकार अनुपस्थिति रहने पर न्यास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाने पर न्यासी के अधिकार से वंचित किया जा सकेगा।

न्यायिक वादों का निस्तारण :–

केवल न्यास के नाम से अध्यक्ष/प्रबन्धनिदेशक अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति करेगा।

न्यास के अभिलेख :–

केवल अध्यक्ष/प्रबन्धनिदेशक की देख–रेख में रखे जायेंगे।

न्यास मण्डल की बैठक :–

एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकें अवश्य की जायेगी इसके लिए सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना दी जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष/प्रबन्धनिदेशक द्वारा 24 घंटे पूर्व की सूचना पर विशेष बैठक बुलायी जा सकती है। आवश्यकतानुसार देश के विभिन्न भागों से विशिष्ट व्यक्तियों को न्यासी मण्डल की बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा। परन्तु उनकी भूमिका परामर्शदाता की रहेगी।

Krishna Kumar Yadav

....15/–

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 269934

गणपूर्ति :–

न्यासियों की कुल संख्या का 1/5 संख्या अर्थात न्यूनतम तीन न्यासी उपस्थिति होने पर भी गणपूर्ति मानी जायेगी।

न्यास के धन का विनियोग :–

न्यास के धन का विनियोग आयकर विधान की धारा–11 (5) एवं अन्य सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। न्यास का समस्त कोष व चल/अचल सम्पत्तियां न्यासी मण्डल में निहित रहेगी।

न्यास के कोषों का संचालन :–

न्यास के सभी प्रकार के कोषों एवं बैंक खातों का संचालन अध्यक्ष/प्रबन्धनिदेशक के हस्ताक्षर द्वारा ही किया जायेगा। न्यास का खाता/खाते किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में खोला जायेगा।

न्यास का वित्त वर्षः–

Krishna Kumar Yadav

....16/–

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 269935

शासकीय वित्तीय वर्ष ही न्यास का वित्त वर्ष होगा और उसी अनुरूप लेखा–पुस्तकें, आय–व्यय विवरण तैयार किये जायेंगे।

न्यास के नियमों एवं विनियमों में संशोधन :–

न्यास को और अधिक समाजोपयोगी बनाने के लिए न्यास मण्डल न्यास के उद्‌देश्य में वृद्धि या संशोधन तथा सुयोग्य संचालन हेतु नियम व उपनियमों का निर्धारण 2/3 न्यासियों की सहमति से कर सकेगा। परन्तु ये सभी संशोधन इस प्रकार के होंगे ताकि न्यास का मूलरूप सदैव सुरक्षित रहें।

विघटन तथा उसके पश्चात न्यास की सम्पत्ति का निस्तारण :–

यदि किसी कारण अथवा परिस्थितिवश न्यासी मण्डल द्वारा न्यास का विघटन करने का निश्चय किया जाता है तो न्यास की सम्पत्ति में से न्यास के ऊपर सभी ऋण (यदि कोई हो) का भुगतान करने के बाद जो कुछ शेष रहेगा उसका वितरण न्यास के सदस्यों अथवा पदाधिकारियों में नहीं किया जायेगा। न्यास का गठन जनसेवा/शिक्षा के लिए हुआ है। अतः जब तक इस धरा पर मानव समाज है न्यास कार्य पर अध्यक्ष/प्रबन्धनिदेशक के विवेक से करती रहेगी।

अतः कृष्ण कुमार यादव पुत्र स्व0 श्री दयाराम यादव, म0नं0–5/18/72सी मो0–बछड़ा सुल्तानपुर, पोस्ट– वाटर वर्क्स, जिला–फैजाबाद

Krishna Kumar Yadav

....17/–

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 भारत सत्यमेव जयते INDIA FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 269936

(उ0प्र0) निम्न साक्षीगणों की उपस्थिति में इस न्यास के घोषण-पत्र को आज दिनांक 24-12-2012 को निस्पादित करता हूँ।

न्यास के पदाधिकारी

न्यास के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे

पदाधिकारी : स्थाई

क्र0सं0	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	कृष्ण कुमार यादव पुत्र स्व0 श्री दयाराम यादव	म0नं0-5/18/72सी मो0-बछड़ा सुल्तानपुर, पोस्ट-वाटर वर्क्स,जिला-फै0.	अध्यक्ष/ प्रबन्धनिदेशक	समाजसेवा
2.	पूर्वा रघुवंशी पत्नी कृष्ण कुमार यादव	" "	कोषाध्यक्ष	गृहणी
3.	जिलाजीत यादव पुत्र श्री बासुदेव यादव	ग्राम व पो0-करमपुर,जि0-अम्बेडकरनगर (उ0प्र0)	सचिव	समाजसेवा
4.	प्रभा सिंह पत्नी वीरेन्द्र कुमार सिंह	17 दिलकुशा धारा रोड फैजाबाद।	सदस्य	गृहणी

Krishna Kumar Yadav

....18/-

तिथि 24/12/2012 रजि० नं० 4744 कीमत 50
नाम क्रेता
शामिल नं० कृष्ण कुमार यादव 4575
स्टाम्प विक्रेता ... नं० 26/215
बिक्री का ... फैजाबाद।
लाइसेन्स की अवधि 01-04-12 से 31-03-13 तक

न्यास पत्र हस्ताक्षर

न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
11,000.00	110.00	20	130.00	1,000

श्री कृष्ण कुमार यादव Krishna Kumar Yadav
पुत्र श्री स्व.दयाराम यादव
व्यवसाय समाज सेवा
निवासी स्थायी 5/18/72 सी बछडा सुल्तानपुर पो.वाटर वर्क्स फैजाबाद
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 24/12/2012 समय 4:47PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस. के. त्रिपाठी
सब रजिस्ट्रार
फैजाबाद
24/12/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री कृष्ण कुमार यादव Krishna Kumar Yadav
पुत्र श्री स्व.दयाराम यादव
पेशा समाज सेवा
निवासी 5/18/72 सी बछडा सुल्तानपुर पो.वाटर वर्क्स फैजाबाद

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री शोभाराम यादव
पुत्र श्री राम जानकी यादव
पेशा दस्तावेज लेखक
निवासी रामपुर बैहारी अमसिन फैजाबाद
व श्री अजय कुमार यादव Ajay Kumar Yadav
पुत्र श्री बाबूराम यादव
पेशा कृषि
निवासी लाला का पुरवा फैजाबाद
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस. के. त्रिपाठी
सब.रजिस्ट्रार
फैजाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 269937

5.	बाबूराम पुत्र स्व0 श्री दयाराम यादव	ग्राम लाल का पुरवा,पो0–पौसरा,थाना–गोशाईगंज फै0	सदस्य	पत्रकार
6.	सहजराम पुत्र स्व0 श्री दयाराम यादव	ग्राम लाल का पुरवा,पो0–पौसरा,थाना–गोशाईगंज फै0	मंत्री	अधिवक्ता
7.	राम लक्ष्मण स्व0 श्री दयाराम यादव	ग्राम लाल का पुरवा,पो0–पौसरा, थाना–गोशाईगंज फै0	सदस्य	कृषि

ct

Krishna Kumar Yadav

तिथि 24/12/2012 रजि० नं० 4745 क़ीमत 53
नाम क्रेता
शामिल नं० कृष्ण कुमार यादव 4729
स्टाम्प विक्रेता लाइसेन्स नं० 26/215
बिक्री का स्थान ... फैजाबाद
लाइसेन्स की अवधि ...12 से 31-03-13 तक

हस्ताक्षर

Registration No.: 183 Year: 2,012 Book No.: 4

0101 कृष्ण कुमार यादव

स्व.दयाराम यादव

5/18/72 सी बछडा सुल्तानपुर पो.वाटर वर्क्स फैजाबाद

समाज सेवा

(एस. के. त्रिपाठी)
उप निबन्धक
सदर
फैजाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(18)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 269938

Krishna Kumar Yadav

गा [illegible] यादव
S/o श्री [illegible]
[illegible]

गा [illegible] S/o
[illegible]

दिनांक: 28.12.2012

18/3 [illegible] .3.2013

[illegible]

तिथि 24/12/2012 रजि० न० 4746 कीमत 50
नाम क्रेता
शामिल न० कृष्ण कुमार 4129, 4729
स्टाम्प विक्रेता सतीश कुमार ला० नं० 26/215
बिक्री का स्थान - तहसील फैजाबाद।
लाइसेन्स की अवधि 01-04-12 से 31-03-13

हस्ताक्षर

(1)

आज दिनांक **24/12/2012** को

बही सं. **4** जिल्द सं. **380**

पृष्ठ सं. **363** से **398** पर क्रमांक **183**

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Tripathi

एस. के. त्रिपाठी

सब रजिस्ट्रार

फैजाबाद

24/12/2012